न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 405/2018

बलवन्तसिंह पुत्र बिशनसिंह व अन्य
बनाम
गेनसिंह पुत्र पदमसिंह वगैरा

दिनांक20. .11.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र/प्रकरण संख्या 42/2015 बअनवान गेनसिंह व अन्य वनाम राज0 सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बालेसर स्थित ग्राम राजगढ के ख0नं0 2109 रकबा 55.05 बीघा संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त कृषि भूमि की नक्शा ट्रेस में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.02.2016 द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार बालेसर को वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि णनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वक्त वहस वकील अपीलांट अनुपस्थित रहे, लिहाजा अपील मीमों उल्लेखित अभिकथनों को उनकी बहस माना गया। रेस्पो0 अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई।

अपीलांट द्वारा अपील मीगों में मुख्यतः यह उल्लेखित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी–गेनसिंह व जेठूसिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर तहसील वालेसर स्थित ग्राम राजगढ के ख0नं0 2109 रकबा 55.05 वीघा संयुक्त खातेदारी भूमि का नक्शा ट्रेस में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसके पडौस में अपीलांट के खातेदारी ख0नं0 2110 व 2042 की भूमि स्थित होने

du
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible] सुनवाई का अवसर नहीं [illegible] है। [illegible] से [illegible] अनुरूप नक्शा [illegible] नहीं की [illegible] नहीं किया [illegible] खातेदारी भूमि [illegible] अधीनस्थ [illegible] सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह [illegible]

[illegible] के साथ उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां [illegible] आदेश की पालना में मौका फर्द [illegible] खसरा नं0 2109 व 2110 के बीच की तनाजा [illegible] द्वारा चिन्हित बिन्दुओं पर पत्थरगढी करवायी [illegible] न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.9.18 को [illegible] अनावश्यक रूप से पिछले करीब 7 वर्षो से [illegible] प्रस्तुत धारा 5 का शपथ पत्र मिथ्या तथ्यों पर [illegible] मौका फर्द दिनांक 4.4.16 में पडौसी खसरा नं0 2110 के खातेदार– [illegible] द्वारा मौके पर पत्थर लगवाने से मना करने का [illegible] अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से है। अतः उक्त अपील [illegible] खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

[illegible] की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का [illegible] अनावश्यक रूप से लंबित उक्त अपील को खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व [illegible] किया गया। जिसके अनुसार प्रकट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] निर्णय दिनांक 03.02.2016 पालना में मौका फर्द दिनांक 4.4.16 पुनश्चः 5.4.16 के

अनुसार खसरा नं0 2109 व 2110 के बीच की तनाजा माठ पर दिनांक 4.4.16 को की गई पैमाईश द्वारा चिन्हित बिन्दुओं पर पत्थरगढी हो चुकी है। इसके उपरांत उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.9.18 को लगभग 2.5 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई तथा पिछले करीब 7 वर्षो से लंबित चल रही है, जो औचित्यहीन होने से खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र/प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 20-11-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

20/11/25.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर